


स्वाभाव्य श्री राज राजव कंस

27

सपक्ष श्री मनी मादय मक्ष

जुलै



शिवकान्त सिद्ध

सोपान

वनाम

श्री मनी शिला सिद्ध - सोपान

III (वि विद्य/रीवा/भू-रां) 2017/2970

विजयवती विना मादय
वदलीन वर जोपद वनाम
जिना शिला मादय
मादय वर वनाम

युक्त कानय विजयवती

2062) 15 दिनादि मने

11-8-17 को कम्पिपल

जिला मने कानय
जाने देव

27-8-17

मान्य :- सुधा मादय वर के मनादिना

1- यह कि उपरोक्त विजयवती मादय के द्वारा
वदलीन वर जोपद वनाम जिना शिला वर
विना मादय वर जोपद वनाम । सोपान
मादय के विजयवती वदलीन वर नमाने
के दिना जो अनंतर दिना जाय है
यह युक्ति पूर्व है सोपान
सुधा विना वर वर जोपद वनाम
जिना शिला विना जाय ।

2- यह कि जो कम्पिपल के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


भाग-अ

प्रकरण क्रमांक तीन/विविध/सीधी/भू.रा/2017/2970

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों/आदि के हस्ताक्षर
11-01-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री वी० के० सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा प्रकरण में हुई त्रुटि को सुधार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक निगरानी 2062-दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 11.8.17 में आदेश के प्रथम पृष्ठ पर आदेश की दूसरी लाईन में एवं इसी पृष्ठ पर पैरा-2 की प्रथम लाईन में तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा टंकित हो गया है जबकि वास्तव में वह तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी है। इसी प्रकार आदेश के अंतिम पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाईन एवं छटवीं लाईन में तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा टंकित हो गया है जबकि वास्तविक में वह तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी है। जिसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के प्रथम पृष्ठ पर आदेश की दूसरी लाईन में</p>	

//2//

एवं इसी पृष्ठ पर पैरा-2 की प्रथम लाईन में तहसीलदार मऊगंज जिला सीधी के स्थान पर तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी पढ़ा जावे एवं इसी प्रकार आदेश के अंतिम पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाईन एवं छटवीं लाईन में तहसीलदार मऊगंज जिला के स्थान पर तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी ।


सदस्य

M